

2019/00053

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 38/2019 (अपील)

उनवान

नन्दकिशोर पुत्र बिरधीलाल जाति गुर्जर निवासी करजोदा
तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी इदावा, जिला कोटा
(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :- श्री ओमप्रकाश मीणा (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी निर्णय दिनांक 27.11.2018 मिसल नम्बर 23/2018
न्यायालय सहायक वन संरक्षक, कोटा सुल्तानपुर, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 28.11.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं न्याय तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को वनखण्ड मीटोद मे ख0 नं0 335 की 0.64 हैक्टर वन भूमि पर अतिक्रमी मानकर अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलान्ट को 3 माह की सिविल कारावास से दण्डित करने का तथा 30576/-रूपये शास्ति वसूली करने का आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना महज गलत रिपोर्ट नाका अधिकारी को आधार मानकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय जेर अपील प्रदान करने मे त्रुटि की है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है ना ही पूर्व मे उसे बेदखल ही किया है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी से दो वर्ष पूर्व मे कब्जा छोड दिया है वर्तमान मे भी उसका कब्जा नहीं है। उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगा। अपीलान्ट द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जेर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही प्रदान किया है। अपीलान्ट को आदेश जेर अपील की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 19.08.2019 को पुलिस द्वारा वारन्ट गिरफ्तारी लेकर आने तथा उसके द्वारा बताने पर हुई उक्त प्रकार जानकारी होने पर दिनांक 20.08.2019 को गालूमात करके नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 22.08.2019 को नकल प्राप्त कर अपील पेश की है। जो सर्व प्रथम जानकारी की दिनांक 19.08.2019 से नकल प्राप्त करने की दिनांक 22.08.2019 तक डिले कन्डोन करने पर अवधि मध्य पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की सजा व जुर्माना का आदेश निरस्त किया जावे।

2. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सबजेक्ट टू लिमिटेडेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोंडेण्ट की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व रेस्पोंडेण्ट के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलान्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है ना ही पूर्व में उसे बेदखल ही किया है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी से दो वर्ष पूर्व में कब्जा छोड़ दिया है वर्तमान में भी उसका कब्जा नहीं है। उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की सजा व जुर्माना का आदेश निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोंडेण्ट की ओर से उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि ने का बहस में कथन है कि अपीलान्ट द्वारा वनभूमि पर कब्जा किया है। अपीलान्ट को उक्त अतिक्रमणित आराजी से पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अपीलान्ट अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न क्षेत्रीय वन अधिकारी इटावा की रिपोर्ट में मिसल नं० 17/16 निर्णय दिनांक 29.01.2018 व मिसल नं० 79/2017 निर्णय दिनांक 29.01.2018 से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि० एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न क्षेत्रीय वन अधिकारी इटावा की रिपोर्ट में मिसल नं० 17/16 निर्णय दिनांक 29.01.2018 व मिसल नं० 79/2017 निर्णय दिनांक 29.01.2018 से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। पत्रावली पर उपलब्ध स्थिति का अवलोकन अनुसार यह पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि से कब्जा हटा लेने का तथ्य स्वीकार करने से यह साबित है कि उसका विवादित आराजी पर अवैध रूप से कब्जा था। जिससे सिद्ध होता है कि अतिक्रमी का विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी होना सिद्ध होता है।

7. अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते परन्तु चूंकि अपीलान्ट के कथनानुसार उसके द्वारा भूमि पर कब्जा छोड़ना अंकित किया है। अतः नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्ट द्वारा तावान जगा कराने व कब्जा हटाने के संबंध में अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमणित आराजी से वास्तविक रूप से मौके से कब्जा हटा लिया है एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करेगा के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में 15 दिवस में शपथ पत्र पेश करने तथा कब्जा हटाने की व तावान जमा कराने की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करने की शर्त पर सजा निरस्त की जाती है। अन्यथा सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रभावी रहेगा।

8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा